न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 26/2019 (राजसमन्द डिक्री)

देवीलाल पिता लालू जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द।

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती वक्तूबाई पुत्री मोती जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. हेमराज पिता लालू जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर मृतक के बजायः–

2/1. श्रीमती खुमाणीबाई बेवा हेमराज जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. सोहनलाल पिता हेमराज जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री हेमराज जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

3. लक्ष्मणदास पिता परसदास जी वैरागी, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. दिनेश पिता भंवरलाल जी कलाल, निवासी कालागुमान, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजूसिंह पिता पाबूसिंह जी सोलंकी, निवासी टाडावाडा सोलंकियान, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) :–
1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रे.सं. 2/1 से 2/3
4. श्री राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6

2. प्रकरण संख्या 32/2019 (राजसमन्द डिक्री)

1. हेमराज पिता लालू जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर मृतक के बजायः–

1/1. श्रीमती खुमाणीबाई बेवा हेमराज जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. सोहनलाल पिता हेमराज जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

1/3. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री हेमराज जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती वक्तूबाई पुत्री मोती जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. देवीलाल पिता लालू जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. लक्ष्मणदास पिता परसदास जी वैरागी, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. दिनेश पिता भंवरलाल जी कलाल, निवासी कालागुमान, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजूसिंह पिता पाबूसिंह जी सोलंकी, निवासी टाडावाडा सोलंकियान, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> :– 1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2
4. श्री राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6

———::———

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का.अधि.1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक
19–06–2019 प्रकरण सं0 15/2019

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 30–10–2023</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कितेला में वादिया वक्तुबाई व प्रतिवादी हेमराज व देवीलाल के संयुक्त हक अधिकार व आधिपत्य की भूमियां स्थित थी, जिसके खाता संख्या 18, 82, 83, [illegible] हाके [illegible] वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी अनुसार है। उक्त आराजियात वादिया के दा[illegible]गाराम जी के समय से चली आ रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

हैं। गंगाराम जी के दो पुत्र मोतीलाल व लालूराम हुए। प्रतिवादी हेमराज व देवीलाल लालूराम के पुत्र हैं, जबकि वादिया मोतीलाल की पुत्री है। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादिया का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। मोतीलाल का एक पुत्र छगु जो अपंग था, इसलिए उसकी सम्पत्ति की देखभाल लालूराम जी कर्ताखानदान की हैसियत से करते थे। 50–60 वर्ष पूर्व जब गंगाराम जी की मृत्यु हुई तो लालू व मोती की पुत्री वादिया वक्तुबाई के मध्य एक पारिवारिक समझौता हुआ, जिसमें चल अचल सम्पत्ति का विभाजन कर दिया गया। उक्त समझौते अनुसार वादिया का आज भी विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है, किन्तु सम्पत्तियां प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण ने बिना वादिया की जानकारी के विवादित आराजियात आपस में आधी–आधी बांट ली, जबकि मौके पर उपयोग–उपभोग वादिया व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर कुछ आराजियात प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को विक्रय कर दी है, जो अजनबी क्रेता हैं और जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाये कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः वादिया को विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल चार तनकियां कायम की गयी एवं अपने निर्णय दिनांक 19–06–2019 से वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपील संख्या 26/2019 एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपील संख्या 32/2019 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट 1, 2 व 6 की ओर से उसके अधिवक्तागण उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 15/2019 में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दोनों अपीलें होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में रखी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आप न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 22/2018 में दिनांक 16–01–2019 को पारित रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है। आप न्यायालय द्वारा कायम शुदा तनकियात पर पक्षकारान की शहादत सबूत के आधार पर निर्णय पारित किया जावे, लेकिन उक्त आदेश की पालना किये बगैर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। रेस्पोन्डेन्ट/वादिया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे विवादित आराजियात गंगाराम जी के समय की होना साबित होता हो। जमीन शुरू से अपीलान्ट के पिता लालू जी के नाम से चली आ रही है, जिससे वादिया का कोई संबंध नहीं है। प्रदर्श 2 ईकरार समझौता फर्जी होकर कूटरचित है। स्टाम्प दिनांक 18–5–33 का है जिसे बाद में काट कर 53 किया गया है। वादिया द्वारा एक भी तनकी साबित नहीं करायी गयी है। जो जमीन अपीलान्ट ने अन्य व्यक्तियों को विक्रय की, वह उनके कब्जे में थी तथा शेष आराजियात पर भी अपीलान्ट का ही कब्जा चला आ रहा है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बातों को समझे बिना निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आप न्यायालय द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना करते हुए तनकीवार साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने स खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हाल जमाबन्दी में विवादित आराजियात अपीलान्ट हेमराज व देवीलाल अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हैं एवं पूर्व में यह भूमियां इनके पिता लालूराम के खाते में दर्ज थी। वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने विवादित आराजियात गंगाराम जी के समय की होना बताया है, जबकि इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित आराजियात गंगाराम के समय की होना साबित होता हो। वादिया गंगाराम के पुत्र मोती की पुत्री है, जबकि विवादित आराजियात गंगाराम अथवा मोती के नाम दर्ज होने का कोई रेकार्ड नहीं है, बल्कि शुरू में यह भूमियां गंगाराम के पुत्र लालूराम के नाम दर्ज थी एवं विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अर्थात अपीलान्ट नाम दर्ज हुई हैं एवं उनके द्वारा कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को विक्रय किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

2 ईकरार समझौते के आधार पर वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया है, जबकि उक्त ईकरार समझौता 1/– रूपये के स्टाम्प पर होकर अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा उसमें स्टाम्प जारी होने की दिनांक 18–05–33 में कांट–छांट की जाना प्रकट होता है। अतः ऐसे अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अनरजिस्टर्ड ईकरार समझौते के आधार पर वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2019 अपास्त की जाती है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

देवीलाल पिता लालू जी गुर्जर, निवासी कितेला, तह0 गढ़बोर, जिला राजसमन्द बनाम **श्रीमती वक्तुबाई पुत्री मोती जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**26 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**कुम्भलगढ़**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**19**.....माह.....**06**.....**2019**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री अजयसिंह हाडा / मुकेश तलेसरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2019 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....

व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

हेमराज के बजाय श्रीमती खुमाणीबाई गुर्जर, बेवा हेमराज जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द बनाम **श्रीमती वक्तुबाई पुत्री मोती जी गुर्जर, निवासी कितेला, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**

.....**कुम्भलगढ़**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**19**.....माह.....**06**.....**2019**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश तलेसरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री अजयसिंह हाडा / संजय बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2019 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested